/

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :—03 / 14 / 2024   ऑन लाईन नम्बरः—2024 / 122   प्रवेश तिथिः—21.02.2024

1. माधोसिंह पुत्र श्री गिरवर सिंह, आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम खोहदरीबा तहसील टहला जिला अलवर।

..................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब टहला तहसील टहला जिला अलवर।

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थित :1. श्री स्वयं प्रार्थी

दिनांकः—13 / 10 / 2025

—:निर्णयः—

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त भूमि का विरासत का इंतकाल दिनांक 14.10.1977 को प्रार्थी क हक में स्वीकार किया गया। उक्त भूमि के गत खसरा संख्या 987 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह थे। प्रार्थी उक्त भूमि पर जमाने बुजुर्गान के काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि के चारो और दीवार कर रखी है। तथा बेरोक—टोक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग सम्वत 2046 के कर्मचारियान द्वारा सहवन से 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह की किस्म सिवायचक राज0 सरकार के खाते में दर्जकर दी और उक्त गलती भूलवश हुई है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उउक्त भूमि अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रार्थी इस भूमि का काश्तकार है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा संख्या 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर के हाल जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने के निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 2375 दिनांक 02.07.2024 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल 2046 में उक्त खसरा संख्या 941 का साबिक खसरा संख्या 987 मिन दर्ज है। एवं जमाबंदी सम्वत 2035—38 के खाता संख्या 196 में खसरा संख्या 987 मिन रकबा 5 बीघा किसम बा0सो अज गै0मु0राडा माधोसिंह पुत्र गिरवरसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम खोह में आराजी खसरा संख्या 941 / 1.37 किस्म बंजड खाता संख्या 01 में सिवायचक सरकार भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्तानुसार भू—प्रबन्ध सम्वत 2046 के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है।

न्यायालय
सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला अलवर

अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख
3. बहस प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में तहसील टहला जिला अलवर में किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह को प्रार्थी क हक में स्वीकार किया अवस्थित है। उक्त भूमि का विरासत का इंतकाल दिनांक 14.10.1977 प्रार्थी उक्त भूमि पर जमाने गया। उक्त भूमि के गत खसरा संख्या 987 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह थे। उक्त भूमि के चारो और बुजुर्गान के काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा प्रार्थी ने अपनी रहा है। लेकिन बन्दोबस्त दीवार कर रखी है। तथा बेरोक–टोक काबिज होकर काश्त करता चला आ खोह की किस्म सिवायचक विभाग सम्वत 2046 के कर्मचारियान द्वारा सहवन से 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक राज0 सरकार के खाते में दर्जकर दी और उक्त गलती भूलवश हुई है। इस प्रकार प्रार्थी इस भूमि का काश्तकार है। प्रार्थी को उउक्त भूमि अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा संख्या 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर के हाल जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने के निवेदन किया गया।

4. मैने बहस प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, संबंधित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024, जमाबन्दी सम्वत 2035–38, जमाबन्दी सम्वत 2069–75, खाता संख्या 01 खसरा संख्या 941 वाके ग्राम खोह, नामान्तकरण खोह, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 वाके ग्राम खोह का अवलोकन व विश्लेषण किया। विश्लेषण उपरान्त यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि उक्त आराजी सिवायचक खाते में दर्ज रिकार्ड है। जो सरकारी है।

5. उपरोक्त विवचेन, संलग्न दस्तावेजन एवं तहसीलदार टहला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 अस्वीकार / खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि–

प्रार्थना पत्रं प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 हाल आराजी खसरा संख्या 941 / 1.37 है0 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर अस्वीकार / खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13 / 10 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर